# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला—पाली

पीठासीन अधिकारीः— मारिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्याः— 229/2024

| वादी | बनाम | प्रतिवादी |
|---|---|---|
| 1. मंगलचन्द मालवीय पुत्र मोहनलाल जाति मालवीय लौहार निवासी सियाट तह0 सोजत जिला पाली राज0। | | 1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत जिला पाली |

**राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956**

**उपस्थितिः—**

**1. श्री कैलाश दवे, श्री कुन्दन मल अधिवक्ता वादी उपस्थित।**
**2. तहसीलदार सोजत स्वयं उपस्थित।**

—: निर्णय :— दिनांक :— 15/07/2025

1. अधिवक्ता वादी ने राजस्व वाद विरूद्ध प्रतिवादी के पेश कर निवेदन किया कि वादी व अन्य संयुक्त खातेदारान की संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि सरहद मौजा ग्राम सियाट पटवार हल्का सियाट भू—अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बगड़ीनगर तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान के वर्तमान खाता संख्या 7 के खसरा नंबर 347 रकबा 0.4500 हैक्टर, खसरा नंबर 348 रकबा 0.4500 हैक्टर, खसरा नंबर 349रकबा 0.8500 हैक्टर, खसरा नंबर 350 रकबा 0.8500 हैक्टर, खसरा नंबर 351 रकबा 0.4500 हैक्टर व खसरा नंबर 352 रकबा 0.4500 हैक्टर कुल खसरा 6 कुल रकबा 3.5000 हैक्टर है। जिसमें वादी का 1/56 —1/56—1/336 हक हिस्सा खातेदारी व कब्जा काश्त का आया हुआ स्थित है। वादी व अन्य संयुक्त खातेदारान की संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि सरहद मौजा ग्राम सियाट पटवार हल्का सियाट भू—अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र—बगड़ीनगर तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान के वर्तमान खाता संख्या 6 के खसरा नंबर 412 रकबा 0.7700 हैक्टर है। जिसमें वादी का 1/12 हक हिस्सा खातेदारी व कब्जा काश्त का आया हुआ स्थित है। उक्त वादस्थ कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादी के नाम मंगलाराम पुत्र मोहनलाल दर्ज हैं, जो कि वादी का घरेलू नाम है, जबकि वादी का वास्तविक नाम मंगलचंद मालवीय है तथा वादी के परिवार कार्ड, स्कूल रेकर्ड, आधार कार्ड, पेन कार्ड, बैंक पासबुक इत्यादि दस्तावेजात में वादी का नाम मंगलचंद मालवीय पुत्र मोहनलाल दर्ज है, जो सही है। हाल ही में मुझ वादी द्वारा ऋण लेने हेतु राजस्व रेकर्ड की नकले दिनांक 09/11/2024 को प्राप्त करने पर मुझ वादी को सर्वप्रथम जानकारी हुई कि वादस्थ कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में मुझ वादी का नाम मंगलाराम पुत्र मोहनलाल दर्ज है, उससे पूर्व मुझ वादी को उक्त नाम बाबत किसी प्रकार की कोई जानकारी नही थी, इसलिए राजस्व रेकर्ड में मुझ वादी का नाम मंगलाराम पुत्र मोहनलाल के स्थान पर मंगलचंद मालवीय पुत्र मोहनलाल के नाम की खातेदारी घोषणा की जाकर राजस्व रेकर्ड दुरूस्त किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है। इस प्रकार अधिवक्ता मय वादी ने राजस्व वाद प्रस्तुत कर माफिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी के इस आशय की सादिर फरमायी जावे कि वादपत्र के पद संख्या 1 व 2 में वर्णित वादस्थ कृषि भूमि में वादी का नाम मंगलाराम पुत्र मोहनलाल के स्थान पर मंगलचंद मालवीय पुत्र मोहनलाल की खातेदारी घोषणा की जाकर रेकर्ड दुरूस्त करने के आदेश प्रदान किये जाने की ईशतदुआ की हैं।

उपखण्ड अधिकारी, सोजत (राज.)

2. इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन वास्ते जवाब दावा हेतु तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार सोजत द्वारा जवाब दावा पेश कर पैरा सं0 01 में वर्णित कृषि भूमि ग्राम सियाट में स्थित होना, पैरा सं0 02 से 05 वादी स्वयं साबित करना तथा पैरा सं0 06 से 10 कानूनी होना अंकित किया हैं।

4. तहसीलदार सोजत से वादग्रस्त कृषि भूमि के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु लिखा जाने पर तहसीलदार सोजत द्वारा पत्रांक/राजस्व /2025/809 दिनांक 12.06.2025 के जरिये निवेदन किया कि राजस्व ग्राम सियाट के खाता सं0 6 में वादी का नाम मंगलाराम पुत्र मोहनलाल जाति लवार दर्ज है व खाता सं0 7 में वादी का नाम मंगलाराम पुत्र मोहनलाल हि0 1/56, मंगलाराम पुत्र मोहनलाल हि0 1/56, मंगलाराम पुत्र मोहनलाल हि0 1/336 जाति लवार सा0 देह खातेदार दर्ज हैं। मौके पर जांच की गई जिसमें मौतबिरानों ने बताया कि मंगलचन्द मालवीय व मंगलाराम दोनों एक ही व्यक्ति व मोहनलाल का ही पुत्र हैं। मौके पर मंगलाराम पुत्र मोहनलाल नाम से कोई अन्य व्यक्ति नहीं हैं। बाद जांच मंगालाराम पुत्र मोहनलाल के स्थान पर मंगलचन्द मालवीय पुत्र मोहनलाल किये जाने की अनुशंषा सहित रिपोर्ट पेश की हैं।

5. बहस अधिवक्ता वादी एवं तहसीलदार सोजत सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता वादी ने वादपत्र में वर्णित तथ्यों का दोहराते हुए निवेदन किया कि वादपत्र के पद संख्या 1 व 2 में वर्णित वादस्थ कृषि भूमि में वादी का नाम मंगलाराम पुत्र मोहनलाल के स्थान पर मंगलचंद मालवीय पुत्र मोहनलाल की खातेदारी घोषणा की जाकर रेकर्ड दुरुस्त करने के आदेश प्रदान किये जाने की ईस्तदुआ की हैं। जवाब बहस में तहसीलदार सोजत द्वारा विधिनुरुप निर्णय पारित किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं होना व्यक्त किया।

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत दावा, जवाब दावा, तहसीलदार सोजत की रिपोर्ट फहरिस्त मय दस्तावेजात का अध्ययन कर बहस अधिवक्ता वादी एवं तहसीलदार सोजत पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादी के अन्य दस्तावेजात आधार कार्ड 6075 6028 4857, पैन कार्ड सं0 ASOPC6603K, टी0सी0, लाईविंग लाईसेंस सं0 KA-04/F/1297/2009 इत्यादि में वादी का नाम मंगलचन्द पुत्र मोहनलाल दर्ज हैं। तहसीलदार सोजत द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में भी मंगलाराम पुत्र मोहनलाल के स्थान पर मंगलचन्द मालवीय पुत्र मोहनलाल किये जाने की अनुशंषा की हैं। इस प्रकार तहसीलदार सोजत की रिपोर्ट एवं अन्य दस्तावेजी साक्ष्य से वादी का वास्तविक एवं दस्तावेजी नाम मंगलाराम पुत्र मोहनलाल नहीं होकर मंगलचन्द मालवीय पुत्र मोहनलाल होने की संपुष्टि होती हैं। लिहाजा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में दर्ज मंगलाराम पुत्र मोहनलाल के स्थान पर मंगलचन्द मालवीय पुत्र मोहनलाल को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर तदानुसार राजस्व रेकर्ड दुरुस्त किया जाना उचित समझते हैं।

**–: <u>आदेश</u> :–**

7. अतः अधिवक्ता मय वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा ग्राम सियाट पटवार हल्का सियाट भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बगड़ीनगर तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान के

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

वर्तमान खाता संख्या 7 के खसरा नंबर 347 रकबा 0.4500 हैक्टर, खसरा नंबर 348 रकबा 0.4500 हैक्टर, खसरा नंबर 349रकबा 0.8500 हैक्टर, खसरा नंबर 350 रकबा 0.8500 हैक्टर, खसरा नंबर 351 रकबा 0.4500 हैक्टर व खसरा नंबर 352 रकबा 0.4500 हैक्टर कुल खसरा 6 कुल रकबा 3.5000 हैक्टर के राजस्व रेकर्ड में दर्ज मंगलाराम पुत्र मोहनलाल के स्थान पर मंगलचन्द मालवीय पुत्र मोहनलाल को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं, तदानुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार सोजत को दिये जाते हैं। डिक्री पर्चा मुर्तिब हो। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीव जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला-पाली (राज.)

(मासिंगा राम)
सहायक कलक्टर, सोजत
उपखण्ड अधिकारी सोजत (राज.)

8. यह निर्णय आज दिनांक 15/07/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
सहायक कलक्टर, सोजत
उपखण्ड अधिकारी सोजत (राज.)